(10)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 411–तीन/2014, विरूद्ध आदेश दिनांक 24–09–2012 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 163/अ–12/2008–09

.....

श्रीमती नीतू चौरसिया पत्नी संदीप चौरसिया
निवासी–छतरपुर तह0 व जिला–छतरपुर

..... आवेदिका

विरूद्ध

1– मुन्नालाल पुत्र बैजनाथ सोनी
निवासी–छतरपुर तह0 व जिला–छतरपुर

2– बलवीर सिंह उर्फ मुन्ना यादव पुत्र स्वामी प्रसाद यादव
निवासी–सटई रोड छतरपुर तह0 व जिला छतरपुर

3– म0प्र0 शासन

..... अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1
श्री डी0के0 शुक्ला, अभिभाषक, शासकीय अधिवक्ता, अनावेदक क्र0 3

.....

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 3/3/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदिका द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–09–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि, कस्बा छतरपुर स्थित ख0नं0 3664/4 रकबा 2.832 है0 भूमि अनावेदक क्र0 2 के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि थी। अनावेदक क्र0 2 ने आवेदिका को दिनांक 10.10.2008 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय कर दी थी । भूमि क्रय करने के पश्चात उक्त भूमि का नामांतरण, नामांतरण पंजी क्र0 17 पर पारित आदेश दिनांक 22.11.2008 के अनुसार तहसीलदार छतरपुर द्वारा आवेदिका का नाम स्वीकार किया गया । आवेदिका द्वारा भूमि का सीमांकन कराने हेतु एक आवेदन पत्र तहसीलदार छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया, जो प्रकरण क्र0 26/अ–12/2007–08 में पंजीबद्ध होकर पारित आदेश दिनांक 09.06.2008 को सीमांकन तरमीम प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर नक्शा ट्रेश किया गया एवं भूमि को तरमीम प्रस्ताव अनुसार संशोधित किया गया । तहसीलदार छतरपुर द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्र0 1 द्वारा आपत्ति उठाई गई । तहसीलदार छतरपुर द्वारा प्रकरण में पुनः कार्यवाही करते हुये उभयपक्षों को आहूत किया गया और सुनवाई उपरांत पारित आदेश दिनांक 31.07.2008 को सीमांकन स्वीकार करते हुये आपत्तिकर्ता की आपत्ति निरस्त करते हुये पारित आदेश दिनांक 09.06.2008 को यथावत रखा गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्र0 1 द्वारा निगरानी न्यायालय अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष पेश की गई, जो प्रकरण क्र0 364/अ–12/2007–08 में पंजीबद्ध होकर दिनांक 07.03.2009 को आदेश पारित कर तहसीलदार छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.07.2008 निरस्त किया एवं प्रकरण तहसीलदार छतरपुर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि वे उभयपक्षों को विधिवत सीमांकन की सूचना जारी कर हितबद्ध सरहदी काश्तकारों की उपस्थिति में सीमांकन कराया जाये । अपर कलेक्टर के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा निगरानी आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय में पेश किया गया । न्यायालय आयुक्त सागर संभाग, सागर ने प्रकरण क्रमांक 163/अ–12/2008–09 दर्ज किया एवं अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 07.03.09 को विधिसंगत मानते हुये उसे स्थिर रखा है तथा आदेश दिनांक 24.09.2012 को

आवेदिका द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की गई । आयुक्त सागर के उक्त आदेश से परिवेदित होकर आवेदिका द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि, विचारानीय प्रश्न यह है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधि समंत है ? संहिता की धारा 129 के अनुसार प्रत्येक भू स्वामी को अपने स्वामित्व की भूमिका सीमांकन कराने का अधिकार प्राप्त है । नियम के अनुसार सीमांकन के समय प्रतयेक सरहद्दी कास्तकार को सुचित किया जाना उपबंधित किया है । अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख से यह दर्शित है कि खसरा नं0 3664 के किसी भी भाग पर जो खसरा क्र0 3664/4 कि सीमांओं से लगा हुआ है पर अनावेदक क्र0 1 मुन्नालाल पिता बैजनाथ सोनी के नाम से नक्शे में दर्शित नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालयों में मुन्नालाल सोनी द्वारा ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह दार्शित हो कि मुन्नालाल सोनी प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार था । अधीनस्थ न्यायालयों में इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि जब तहसीलदार द्वारा सीमांकन प्रकरण दिनांक 09.06.2008 को अंतिम रूप से निराकृत कर दिया गया था तो तहसीलदार को पुनः प्रकरण में कारवाई करने का अधिकार प्राप्त नहीं था, विधि अनुसार कोई राजस्व न्यायालय अपने आदेश को पुनर्विलोकित करना चाहता है तो धारा 51 भू0 राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन करना होगा किन्तु अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा अधिकारिता रहित आदेश निरस्त कर दिया । उक्त कृत्य विधि के विरूद्ध होने से अधिकारिता विहिन है । ऐसे अधिकारिता विहिन आदेश को कभी भी किन्हीं भी कार्यवाहियों में आपास्त किया जा सकता था, किन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों में उक्त तथ्य पर विचार नहीं किया, जबकि इसी कानूनी आधार पर मुन्नालाल सोनी द्वारा प्रस्तुत निगरानी 364/अ–12/2007–08 निरस्त किए जाने योग्य थी, जिसे अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा स्वीकार कर तथा आयुक्त सागर द्वारा अपर कलेक्टर छतरपुर के आदेश को यथावत रखने में भूल की है । लिखित तर्क में यह भी बताया गया है कि विलवान अधीनस्थ तहसीलदार

न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 32 के अंतर्गत तहसीलदार अपने द्वारा पारित आदेश को पुनर्विलोकन नहीं कर सकता था । अनावेदक क्र0 1 मुन्नालाल सोनी ने सीमांकन प्रकरण क्र0 26/अ–12/2007–08 में तहसीलदार छतरपुर द्वारा जब सीमांकन से संबंधित कार्यवाही हेतु राजस्व निरीक्षक हल्का पटवारी से मौके पर सीमांकन करने पंचनामा फील्डबुक इत्यादि बनाने निर्देशित किया था, तब दिनांक 31.03.2008 को बिना कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये मात्र सादा कागज पर लिखकर आपत्ति प्रस्तुत कर प्रकरण में भाग लिया किन्तु अनावेदक क्र0 1 मुन्नालाल सोनी पश्चातवर्ती तारीखों में जानकारी होने के बावजूद उपस्थित नहीं हुआ एवं दिनांक 09.06.2008 को सीमांकन आदेश पारित किया गया तथा दिनांक 31.07.2008 को उक्त आदेश अंतिम कर दिया गया, इस प्रकार अनावेदक क्र0 1 मुन्नालाल सोनी ने प्रकरण में बिना किसी आधार के सादा आवेदन लिखकर बिना स्वामित्व के कागजों के आपत्ति पेश की एवं तहसीलदार द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया । वास्तवतिक रूप से देखा जाये जो अनावेदक क्र0 1 मुन्नालाल सोनी सरहद्दी कास्तकार ही नहीं है इसलिए आपत्ति प्रस्तुत करते समय मुन्नालाल सोनी अपने स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज किसी भी स्टेज पर प्रस्तुत ही नहीं किए है एवं इस तथ्य पर किसी भी अधीनस्थ न्यायालयों ने कतई विचार नहीं किया है जो कि विचारणीय है । किसी भी निगरानी न्यायालयों ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्यों पर कतई विचार नहीं किया, वास्तविक रूप से मौके पर देखा जाये तो मुन्नालाल सोनी जो कि हिस्ट्री शीटर बदमाश है जो महाराज साहब के नातीराजा कुंवर श्री विक्रम सिंह जी की कुछ भूमियों में अवैध रूप से अतिक्रमण किए हुए है जिसका सिविलवाद भी सिविल न्यायालयों में मुन्नालाल सोनी बनाम नातीराजा उर्फ कुंवर विक्रम सिंह बगैरह विचाराधीन है और किसी भी अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष मुन्नालाल सोनी ने इसी कारण से सरहद्दी कृषक होने एवं स्वामित्व के कोई दस्तावेज प्रकरणों में प्रस्तुत नहीं किए है एवं मात्र आपत्ति प्रस्तुत करने से अनावेदक क्र0 1 को सुना जाना भी आवश्यक नहीं है इसलिए तहसीलदार छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.06.2008 को स्थिर रखा गया था । जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है इस

प्रकार अपर कलेक्टर छतरपुर का आदेश दिनांक 07.03.2009 एवं आयुक्त सागर का आदेश दिनांक 24.09.2012 निरस्त होने योग्य है, क्योंकि उक्त न्यायालयों ने तथ्यों के परे जाकर महत्वपूर्ण तथ्यों को अनदेखा कर आदेश पारित किया है । अंत में आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा अपर कलेक्टर छतरपुर एवं आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि, विवादित भूमि खसरा नं0 3664/3 रकबा 10 है0 अनावेदक क्र1 के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है जो उसने महाराजा भवानी सिंह जू देव से क्रय की थी तदनुसार राजस्व अभिलेख में नामांतरण हो गया था । भवानी सिंह जू देव के तथाकथित फर्जी वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण करा लिया था, जिस वसीयत को सिविल न्यायालय द्वारा वर्ष 2003 में शून्य व अकृत किया जा चुका है । बलवीर सिंह द्वारा बिना किसी हक विवादित भूमि का अंतरण आवेदिका के पक्ष में किया गया है । चूँकि जब अनावेदक क्र0 2 के पक्ष में तथाकथित वसीयत को सिविल न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा चुका है तब अनावेदक क्र0 2 बलवीर सिंह विक्रेता को आवेदिका नीतू चौरसिया के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करने का अधिकार ही नहीं था, तब ऐसे विक्रय के आधार पर केता को कोई हक अर्जित नहीं होता । यदि क्रेता आवेदिका का बिना किसी हम के नामांतरण भी हो गया हो तब भी उसे कोई हम अर्जित नहीं होता और उसे न ही सीमांकन का अधिकार है । लिखित तर्क में यह भी कहा गया है कि विवादित भूमि के विषय में अनावेदक क्र0 1 के द्वारा सिविल वाद क्र0 75ए/2011 प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग –2 छतरपुर द्वारा दिनांक 31.01.2013 द्वारा अनावेदक क्र0 1 के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की गयी है । इस आदेश को जिला न्यायाधीश छतरपुर को आदेश दिनांक 10.12.2013 द्वारा स्थिर रखा गया है । अनावेदक क्र0 1 द्वारा आवेदिका तथा अन्य के पक्ष में तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी है जिसमें दिनांक 7.11.2014 को स्थगन आदेश प्रदान किया गया । विवादित भूमि के पूर्व स्वामी के उत्तराधिकारी

विक्रम सिंह द्वारा भी सिविल वाद प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में लंबित है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है । इस कारण इस पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है । आवेदिका द्वारा अपने लिखित तर्को के पैरा नं0 9 में अनावेदक क्र0 1 मुन्नालाल सोनी के विषय में उसका हिस्ट्रीशीटर होने का तर्क किया गया है । यह घोर आपत्तिजनक है, अनावेदक क्र0 1 एक संभ्रात नागरिक है। अंत में अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपर कलेक्टर छतरपुर एवं आयुक्त सागर के आदेशों को स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया। इस निगरानी में आवेदिका का मुख्य तर्क यह है कि तहसीलदार अपने ही आदेश को पुनर्विलोकित नहीं कर सकते थे । यद्यपि इस प्रकरण में तहसीलदार की उपरोक्त कार्यवाही का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अवलोकन किया जा चुका है तथा अब नये सिरे से पुनः कार्यवाही के निर्देश दिये जा चुके हैं ऐसी स्थिति में अब उक्त आपत्ति निरर्थक हो चुकी है । वैसे भी संहिता की धारा 129 प्रकियात्मक स्वरूप की है जिसमें प्रकिया में त्रुटि पाये जाने पर उसे सुधारने का पूरा अधिकार तहसीलदार को है ।

6/ प्रकरण में क्योंकि अनावेदक की आपत्ति का संतोषजनक निराकरण नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में सीमांकन दोबारा करने के निर्देश देने में अधीनस्थ न्यायालयों ने कोई त्रुटि नहीं की है ।

7/ उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर